डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0
सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पंत्राकः ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2022 / 19215 दिनांकः 17 जून, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–01, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या 2098 / सोलह–1–2022–13 (01) / 2018, दिनांक 21 सितम्बर, 2022 मे उल्लिखित प्राविधान के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति (NOC) निर्गत करने की प्रक्रिया (नए संस्थान / निर्धारित सीट से उपर वृद्धि / नया कोर्स) हेतु आन–लाईन आवेदन प्राप्त करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय का पोर्टल प्रारम्भ किया जा रहा है।

1. पूर्व से सम्बद्ध संस्थान जिनको पूर्व से ही लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त हो चुका है, अपना आवेदन उक्त आन–लाईन पोर्टल के माध्यम से करेंगे।
2. नवीन संस्थान प्रारम्भ करने हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल पर दिये गये टेब के माध्यम से आवश्यक सूचना की प्रविष्टि करते हुए रू0 5000 /– का आनलाईन शुल्क का भुगतान कर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।
3. लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए सभी संस्थान विश्वविद्यालय के वेबसाईट aktu.ac.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आन–लाईन आवेदन दिनांक 16.06.2023 से दिनांक 30.06.2023 को रात्री 11:59 तक करेगें।
4. अतः उक्त सभी आवेदक संस्थाओं से अनुरोध किया जाता है कि वे शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए विश्वविद्यालय की वेबासाईट aktu.ac.in पर उपलब्ध लिंक पर आवेदन करने से पूर्व पोर्टल पर दिये गये दिशा–निर्देश का अत्यन्त ध्यान पूर्वक अध्ययन कर ले। यदि किसी संस्थान को वेबसाईट पर एप्लीकेशन अपलोड करने में कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो वह इसके निवारण के लिए affiliation@aktu.ac.in पर ईमेल प्रेषित कर सकता है या दूरभाष 0522–2771786 पर सम्पर्क कर सकता है।

संलग्नकः यथोक्त।

(जी0 पी0 सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–01, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. मा0 कुलपति महोदय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
3. वित्त अधिकारी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
4. प्रभारी, ई0आर0पी0 / प्रति कुलपति, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. निदेशक / प्राचार्य, ए0के0टी0यू0, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थान।
6. सुश्री शुभी पाण्डेय, प्रोग्रामर को इस आशय से प्रेषित कि सम्बद्धता पोर्टल ससमय प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

(जी0 पी0 सिंह)
कुलसचिव

संख्या-2098 /सोलह-1-2022-13(01)/2018

प्रेषक,

सुभाष चन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 21 सितम्बर,2022

विषयः-नये तकनीकी संस्थानों को संबद्धता प्रदान किये जाने एवं संस्थान के विस्तार के संबंध में पारदर्शी, प्रभावी, सुदृढ़ और उत्तरदायित्वपूर्ण संबद्धता प्रक्रिया का निर्धारण ।

महोदय,

प्रदेश के निजी क्षेत्र के अभियंत्रण संस्थाओं में नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, एवं संस्थान के विस्तार के संबंध में अनापत्ति /संबद्धता प्रदान किये जाने के निमित्त कोई विशिष्ट एवं सुविचारित प्रक्रिया का निर्धारण न होने के कारण निजी क्षेत्र की संस्थाओं को संबद्धता प्रदान किये जाने में विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही समयान्तर्गत संबद्धता प्रदान नहीं हो पाती है। विगत वर्षों का अनुभव भी रहा है कि शासन द्वारा अनापत्ति प्राप्त संस्थानों में से अधिकांश संस्थानों को नियामक संस्थाओं यथा पीसीआई, एआईसीटीई द्वारा अधोमानक होने के आधार पर सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया गया है।

2. अतएव सम्यक विचारोंपरान्त नये तकनीकी संस्थानों को संबद्धता प्रदान किये जाने एवं संस्थान के विस्तार के संबंध में पारदर्शी, प्रभावी, सुदृढ़ और उत्तरदायित्वपूर्ण संबद्धता प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रख्यापित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

प्रथम चरणः

अनापत्ति प्रदान करने की प्रक्रिया के संबंध में सामान्य निर्देश-

1. जो संस्था पूर्ण डिवीजन से कम पर संचालित है, ऐसी संस्था पूर्ण डिवीजन हेतु बिना NBA/N0C के नियामक संस्था को सीधे आवेदन कर सकते है, बशर्ते संस्था मे सुविधाओं एवं शिक्षकों की कोई कमी न हो।

2. पी.जी.सी.एम./पी.जी.डी.एम. संस्थानों को बंद करने के लिए सम्बद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड/राज्य सरकार से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

3. संस्थान एक डिवीजन (गैर-शून्य) के भीतर किसी भी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में कमी के लिए नियामक संस्था के वेब-पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड/राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना संकाय-छात्र अनुपात बनाए रखते हुए और एनबीए के बिना एक डिवीजन के भीतर बहाली की अनुमति दी जा सकती है, नियामक संस्था के वेब-पोर्टल पर स्वयं उसी स्तर पर बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं, हालांकि, ऐसी बहाली "अनुमोदित प्रवेश क्षमता" से अधिक नहीं होगी जो इस तरह की कमी से पहले थी।

4. ट्रस्ट/सोसाइटी आदि नए संस्थान खोले जाने/निर्धारित सीमा से अधिक सीटों की वृद्धि हेतु अनापत्ति प्रदान किए जाने के लिए डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के संबंधित पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करेंगे। ए0के0टी0यू0 द्वारा वर्तमान पोर्टल को इस प्रकार विकसित कराया जायेगा जिससे कि शासन के प्राविधिक शिक्षा विभाग को अलग से लॉग-इन एवं पासवर्ड की सुविधा उपलब्ध हो

सके जिसका प्रयोग कर शासन स्तर पर, आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र तथा सभी अभिलेखों को डाउनलोड /एक्सेस किया जा सके। प्राप्त आवेदन पत्र का सम्यक अभिलेखीय परीक्षण के पश्चात राज्य सरकार कतिपय आवश्यकताओं, जिनका विवरण निम्नवत है, के सत्यापन के आधार पर अनापत्ति निर्गत करेंगी:-

(क)-राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति(NOC) निर्गत करने की प्रक्रिया (नए संस्थान/निर्धारित सीट से उपर वृद्धि/नया कोर्स):-

1. शासन स्तर पर नियामक निकायों के दिशा-निर्देशों के आधार पर आवेदनकर्ता के डीपीआर का अभिलेखीय परीक्षण कराया जायेगा।

2. प्रमोटर ट्रस्ट/सोसाईटी/कम्पनी के पास आवश्यकता के अनुरूप भूमि उपलब्ध होनी चाहिए तथा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि अथवा उसके पूर्व उक्त प्रमोटर ट्रस्ट/सोसाईटी/कम्पनी का भूमि पर स्पष्ट टाइटिल सहित विधिक कब्जा होना चाहिए।

3. नियामक निकायों के दिशा निर्देशों के अनुरूप आवेदक के पास न्यूनतम धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए जिसका सत्यापन बैंक स्टेटमेंट से किया जायेगा।

4. किसी विषय विशेष से संबंधित संस्थानों के एक स्थान पर केन्द्रीकृत होने के संबंध में राज्य सरकार की नीति /प्रास्पेक्टिव प्लॉन के अनुसार परीक्षण किया जायेगा।

5. आवेदक संस्थान अपने आवेदनों में पूर्व से स्थापित तकनीकी संस्थानों के संक्षिप्त रूप/नामों यथा आईआईएम/आईआईटी/आईआईएससी/एनआईटी/आईआईएसईआर/आईआईआईटी/आईआईईएसटी /एआईसीटीई/यूजीसी/एमओयू/जीओआई का प्रयोग नहीं करेंगे। उक्त के अतिरिक्त आवेदक संस्थान अपने तकनीकी संस्थान के नाम में गवर्नमेन्ट/इण्डिया/इण्डियन/नेशनल/ऑल इण्डिया/ऑल इण्डिया काउंसिल/कमीशन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे यह परिलक्षित हो कि वे सरकारी संस्थान हैं। चूंकि वे पूर्णतया निजी संस्थान हैं अतः वे अन्य नामों जो Emblems and Names(Prevention of Improper Use) Act, 1950 से प्रतिबंधित हों, के नामों का प्रयोग भी नहीं करेंगे। उक्त प्रतिबंध उस दशा में प्रभावी नहीं होगें जबकि भारत सरकार द्वारा स्थापित किसी तकनीकी संस्थान अथवा भारत सरकार से उक्त नामों पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया हो।

6. आवेदक उसी राज्य में मौजूद संस्थानों के नामों का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि एक ही सोसाइटी /ट्रस्ट /कम्पनी द्वारा उसी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में समान/भिन्न नाम से संस्था का परिचालन करती है तो उक्त संस्था के नाम में कम से कम गांव/कस्बा/शहर जहां कि वो स्थित है, के नाम का प्रयोग संस्थान के नाम के एक अभिन्न अंग के रूप में करेंगे।

7. जिस शैक्षणिक सत्र के लिए संस्था आवेदित पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनापत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक हों, उसके लिए आवेदन पत्र प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करना होगा। इसके उपरांत प्राप्त आवेदन अगले शैक्षिक वर्ष के लिए ही मान्य होंगे। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए अब तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार विचार किया जायेगा। इस सत्र के लिए नये आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे किन्तु शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आवेदक 15 नवम्बर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

8. आवेदक संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार की अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ संगत अभिलेखों के अतिरिक्त विवरण/सूचनाएं संलग्न निर्धारित प्रारूप में पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा। इस निर्धारित प्रारूप में उल्लिखित तथ्यों का स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापन उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के 60 दिनों के अन्दर राज्य सरकार द्वारा निर्गत कर दिया जायेगा।

ख-डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा अनापत्ति निर्गत करने की प्रक्रिया:-

1. पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों का ए0के0टी0यू0 स्तर पर अपने लॉग-इन तथा पासवर्ड का प्रयोग करते हुए, गहन अभिलेखीय परीक्षण किया जायेगा। नया संस्थान प्रारम्भ करने के लिए सोसाईटी/ट्रस्ट/कम्पनी आदि के रजिस्ट्रेशन एवं मुख्तारनामा (मैंनडेट) की जांच/परीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा करायी जायेगी।

2. नियामक संस्था के मानकों के अनुसार आवश्यक न्यूनतम भूमि और भूमि स्वामित्व तथा भूमि उपयोग परिवर्तन आवेदक संस्था के नाम होने चाहिए। इस आशय का अभिलेखीय साक्ष्य आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

3. संस्थान के कार्यक्रम के सम्पूर्ण अवधि के लिए भवन योजना काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर में पंजीकृत एक आर्किटेक्ट/लाइसेंसी सर्वेक्षक द्वारा तैयार किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगा। तथापि प्रथम वर्ष हेतु भवन समस्त आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से परिपूर्ण होने चाहिए। इस आशय का अभिलेखीय साक्ष्य आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

4. नियामक संस्था के मानकों के अनुसार आवेदक के पास न्यूनतम कोष उपलब्ध होने चाहिए।

5. आवेदक द्वारा आवेदित किसी विषय/प्रोग्राम को नये संस्थान में अनुमति प्रदान करने की दशा में विश्वविद्यालय, राज्य की नीति के अनुसार उसका परीक्षण करेगा।

6. नियामक निकाय के दिशा-निर्देशों के अनुसार नामकरण है अथवा नहीं और यदि नहीं तो क्या ऐसा कार्यक्रम या पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में चलाया जा सकता है, के संबंध में विश्वविद्यालय परीक्षण करेगा।

7. नये संस्थान के मामले में आवेदक संस्थान का प्रमुख चिन्हित है अथवा नहीं, के साथ-साथ सीटों या पाठ्यक्रम में वृद्धि के लिए अतिरिक्त संकाय, सदस्य और कर्मचारी मानक के अनुसार हैं अथवा नहीं, का भी परीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

8. नये पाठ्यक्रम और स्टाफ के लिए मानक के अनुसार प्रयोगशाला सुविधाएं होनी चाहिए।

9. पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, प्रैक्टिकल आदि के लिए विश्वविद्यालयों की एन0ओ0सी0 परिषद/नियामक संस्था से अनुमोदन लेने/पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले ली जानी होगी।

10. अनापत्ति निर्गत करने हेतु एक निश्चित समय सीमा तय होगी एवं राज्य सरकार की अनापत्ति प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से निर्गत की जाएगी।

द्वितीय चरण:

विश्वविद्यालय की संबद्धता प्रदान किया जाना-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद आवेदक, नियामक निकाय (एआईसीटीई/पीसीआई आदि) से नए संस्थान के अनुमोदन/पाठ्यक्रम/कार्यक्रम आदि में वृद्धि के लिए आवेदन करेगा।

2. नियामक संस्था से एलओआई(लेटर ऑफ इन्डेन्ट)/एलओए(लेटर ऑफ अप्रूवल) प्राप्त करने के उपरान्त आवेदक विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए विश्वविद्यालय के संबंधित पोर्टल पर आन-लाईन आवेदन करेगा एवं निर्धारित सीमा से ऊपर सीट बढ़ाने/नया कोर्स के लिए आवेदन करेगा।

3. उक्त संबद्धता प्रक्रिया निम्नवत होगी:-

क- नए संस्थान की संबद्धता हेतु इच्छुक सोसायटी/ट्रस्ट/आदि को विश्वविद्यालय से संबद्धता हेतु आवेदन करने की एक निश्चित समय सीमा मे आवेदन करना होगा। आवेदन की उक्त समय सीमा को तब तक नहीं बढ़ाया जायेगा, जब तक कि नियामक निकाय में समय सीमा की वृद्धि के कारण ऐसा किया जाना आवश्यक न हो ।

ख- सभी आवेदन, पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन जमा किए जायेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र, नियत शुल्क और इस आशय के शपथ पत्र के साथ जमा किये जायेंगे कि प्रस्तुत जानकारी सही है और कोई गलती होने पर संबद्धता वापस ले ली जाएगी। आवेदन पत्र का प्रिंटआउट जमा किए गए सभी दस्तावेजों के साथ उसे जमा करने के 14 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा और 14 दिन के उपरान्त प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ग- आवेदन जमा करने के 7 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय की विनियमावली की धारा-6.02 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन कुलपति, ए0के0टी0यू0 द्वारा मानकों के अनुसार निम्नवत एक समिति का गठन किया जाएगाः

1. समिति के अध्यक्ष डीन/सरकारी संस्थान के निदेशक।

2. आवेदन के अनुसार विषय विशेषज्ञ।

3. इंजीनियर सेवारत/सेवानिवृत्त-अधिशासी अभियन्ता से नीचे नहीं।

4. उच्च शिक्षा का एक सदस्य एसोसिएट प्रोफेसर/उप निदेशक स्तर से नीचे का नहीं।

समिति, नियामक निकाय के दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न आवश्यकताओं यथा-स्थान, प्रयोगशाला, उपकरण, संकाय, पहुंच के साधन, सुविधाएं, कोष आदि की जांच करेगी। समिति को यह प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा कि सत्यापन का कार्य रिपोर्ट में अंकित किये गये पृष्ठांकन के अनुसार किया गया है।

4. कोर्स और सीटों, जिनके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया है, से संबंधित घोषणा इसी स्तर पर ही मान्य होगी। संबद्धता प्रदान करने के बाद के चरणों में यह संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।

5. नए पाठ्यक्रमों के लिए विशेषज्ञों की समिति आवश्यक बुनियादी ढांचे, संकाय आदि का मूल्यांकन करेगी और तदनुसार शैक्षणिक वर्ष के लिए संबंधित नियामक निकाय द्वारा जारी इक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल (EoA) के अधीन सिफारिश करेगी। प्रत्येक दशा में सीटों की संख्या नियामक प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत उच्चतम सीमा तक ही मान्य होंगी।

6. समिति की सिफारिश को संबद्धता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा- 23(2) के तहत संबद्धता समिति अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण को राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।

7. डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए इसकी एक प्रति संबद्धता पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

8. विशेषज्ञ समिति में अनिवार्य रूप से एक बाहरी विशेषज्ञ, जो प्रोफेसर के पद से नीचे का न हों, शामिल होंगे। समिति के निरीक्षण के उपरांत संस्थान द्वारा रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

9. सभी संबद्धता पत्र सक्षम प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से सभी आवेदकों के डैशबोर्ड, जो डाउनलोड करने योग्य होंगे, पर जारी किए जाएगें। इस आशय की सूचना आवेदकों को विश्वविद्यालय परिषद की मंजूरी के बाद दी जाएगी।

10. अस्वीकृति सम्बन्धी सभी पत्र डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से स्वतः स्पष्ट आदेश के साथ जारी किए जाएगें।

11. सम्बद्धता संबंधी अनुमोदन के साथ-साथ अस्वीकृत प्रकरणों का यथोचित विवरण संक्षिप्त रूप से वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

इक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल (EoA)/नए पाठ्यक्रमों आदि में वृद्धि या कमी/नया पाठ्यक्रमः

1. मौजूदा संस्थाएं अपनी आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित श्रेणी में सभी आवश्यक अभिलेखों सहित डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ए0के0टी0यू0 वेबपोर्टल पर आवेदन करेंगी।

2. संबंधित नियामक संस्था से इक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल (EoA) प्राप्त होने पर उक्त की प्रतिलिपि पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

3. कुलपति द्वारा दिशा निर्देशों के अनुरूप विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी।

4. समिति मौजूदा तकनीकी व पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रयोगशाला सुविधा, पुस्तकालय और अन्य ऐसी आवश्यकताओं का परीक्षण करेगी।

5. विशेषज्ञों की समिति संबद्धता के लिये चयनित कुल संस्थानों के कम से कम 10 प्रतिशत (विभिन्न विधाओं मे) संस्थानों का प्राधिकृत निकाय के दिशा निर्देशों के अनुरूप रेण्डमली सत्यापन करेगी। पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रयोगशाला, उपकरण व पुस्तकालय के अपग्रेडेशन को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से यह सत्यापन कार्य किया जायेगा।

6. संकाय व कर्मचारियों की उपलब्धता, संकाय-छात्र अनुपात (एफएसआर) के अनुरूप है अथवा नहीं, का परीक्षण भी समिति द्वारा किया जायेगा।

7. अनुमोदन प्राप्त सीटों की संख्या को कम करने या स्वीकार करने की सिफारिश की जा सकती है, किंतु किसी भी परिस्थिति में बढ़ायी नहीं जा सकती।

8. अनुमोदन विस्तार से संबंधित समिति की सभी संस्तुतियां संबद्धता समिति के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत की जायेंगी।

9. संबद्धता समिति की संस्तुतियों को विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा- 23(2) के तहत अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा।

10. राज्य सरकार के अनुमोदन के अनुसार अनुमोदन विस्तार/अस्वीकृत पत्रों को डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करते हुए डैश बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा।

<u>संबद्धता के संबंध में सामान्य निर्देश:-</u>

1. पूरी संबद्धता प्रक्रिया शुरू से अंत तक ऑटोमेटेड और डिजीटल होगी। सभी प्रकार के परिणाम/निर्णय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित होंगे।

2. आवेदक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जारी पत्र आदि के संग्रह के लिए विश्वविद्यालय का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है।

3. शिकायतों को इलेक्ट्रानिकली एकत्र करने के लिए एक शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, जिसके द्वारा शिकायतों का समाधान संबंधित पोर्टल और उनके डैश बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा। कोई भी शिकायत/आपत्ति केवल ई-मेल या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही प्रेषित की जाएगी। विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत सम्पर्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. संबद्धता की पूरी प्रक्रिया प्रत्येक चरण में डैशबोर्ड पर ही अपडेट की जायेगी ताकि आवेदक को भी प्रदर्शित हो। सभी संस्थानों के संकाय सदस्यों की सूची जन सामान्य के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

5. सभी संस्थानों को गूगल एपीआई का उपयोग करके जियो टैग किया जायेगा।

6. संबद्धता और नामांकन के प्रत्येक चरण की समय सारिणी अग्रिम रूप से प्रदर्शित की जायेगी और उसका कड़ाई से पालन किया जायेगा।

7. आवेदकों को अनापत्ति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया का प्रत्येक चरण इलेक्ट्रानिकली प्रदर्शित होगा।

8. वर्तमान में ए0आई0सी0टी0ई0/ शासकीय नियमों के अनुसार निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग/तकनीकी शाखा में नये संस्थान को संबद्धता प्रदान किए जाने की अनुमन्यता नहीं है। तदपि इस संबंध में यथास्थिति राज्य सरकार नीतियों का निर्धारण कर सकेगी।

9. फार्मेसी हेतु नये संस्थान की संबद्धता अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यत: उन्हीं संस्थानों के लिये अनुमन्य होगी जहां पूर्व से ही फार्मेसी का डिप्लोमा कोर्स प्रचलित होगा।

3. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नये तकनीकी संस्थानों को संबद्धता/अनापत्ति प्रदान किये जाने एवं संस्थान के विस्तार के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार वर्णित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
21/09/22
(सुभाष चन्द शर्मा)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, उ0 प्र0।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, शासन।
4. अध्यक्ष, ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 व अन्य नियामक संस्थान।
5. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अन्नावि दिनेशकुमार)
विशेष सचिव।

(संलग्नक)

आवेदक संस्था द्वारा पाठ्यक्रम संचालन के लिए राज्य सरकार की अनापत्ति (NOC) हेतु प्रारूप

1	आवेदित पाठ्यक्रम का नाम-
2	आवेदित पाठ्यक्रम हेतु सीटों की संख्या-
3	आवेदक संस्था का नाम-
4	आवेदक संस्था की संचालक सोसाइटी/ट्रस्ट/संगठन का नाम –
5	संचालक संस्था के पंजीकरण की स्थिति-
6	भूमि से संबंधित विवरण व मालिकाना हक-
7	भवन की उपलब्धता, भूकम्प रोधी होने की स्थिति, बिल्डिंग प्लॉन, कक्ष की संख्या एवं कैम्पस की क्षमता, अग्निशमन यंत्र आदि-
8	संस्थान की आर्थिक स्थिति/क्षमता (नियामक संस्था के मानक के अनुसार)
9	संस्थान कैम्पस एवं कक्षों में पूर्व से ही संचालित अन्य पाठ्यक्रम-
10	संस्था तक यातायात की सुविधा, बाउन्ड्रीवाल की स्थिति, सी.सी.टी.वी. कैमरों की उपलब्धता-
11	विद्युत, पेय जल, शौचालय, रैम्प इत्यादि की सुविधा-
12	छात्राओं एवं दिव्यांग जन हेतु उपलब्ध सुविधा-
13	आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति (NOC) निर्गत किये जाने अथवा नहीं किये जाने की उपयुक्तता विषयक सत्यापनकर्ता द्वारा संस्तुति-

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर **सत्यापनकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर**